फर्द अहकाम

शान्ति देवी बनाम [illegible]

नाम न्यायालय- न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

केस संख्या 135/16 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	27/9/19	वकील उत्तरदाता पक्ष उप.। प्रा.पत्र 07 R 11 CPC की बहस हेतु वकील उत्तरदाता पक्ष अस्वस्थ है। पत्रावली दि. 25/10/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	25/10/19	वकील उत्तरदाता पक्ष उप.। प्रा.पत्र 07 R 11 CPC पर वकील उत्तरदाता पक्ष को सुना गया। वकील उत्तरदाता पक्ष आदेश हेतु पेश होने पत्रावली दि. 11/11/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	11/11/19	वकील उत्तरदाता पक्ष उप.। प्रा.पत्र 07 R 11 CPC पर पुन: सुना गया। वास्ते आदेश पत्रावली दि. 27/11/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	27/11/19	वकील उत्तरदाता पक्ष उप.। प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है, व दावा वादी को बिना कोई कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है. फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 135/2012, पुनः दर्ज 135/2016

शीर्षक

शान्ति उर्फ माली देवी पुत्री श्री भूरया उर्फ भूरा जाति हरिजन निवासी ग्राम देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर। हाल नि0 प्लाट सं. 06, हवेली रोड़, बाबा हाउस, नई दिल्ली।

वादिया

बनाम

1. अर्जुनलाल } पुत्रान रामलाल कुम्हार, निवासी ग्राम देवीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. मालीराम }
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक जरिये तहसीलदार) तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
4. उपपंजीयक शाहपुरा जिला जयपुर।
5. पटवारी पटवार हल्का देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. हनुमान (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि
   6/1. हेमचन्द पुत्र स्व0 हनुमान } समस्त जाति खण्डवाल निवासी ग्राम देवीपुरा
   6/2. छगनलाल पुत्र स्व0 हनुमान } तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 (प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0)

उपस्थितिः– 1. श्री टी.एम. वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 6/1 व 6/2
2. श्री हरिशंकर शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादिया की ओर से।

निर्णय दिनांक 27/11/19

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 6/1 व 6/2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 के तहत दिनांक 22.02.2016 को इस आशय क प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद में वर्णित आराजी मुतवादिया के संबंध पूर्व में प्रकरण सं. 94/1963 ब उनवानी हनुमान बनाम भूरा दावा बाबत इस्तकारहक जैर दफा 88 आर.टी.एक्ट., 1955 में न्यायालय ए0सी0एम0 विराटनगर कैम्प शाहपुरा द्वारा दिनांक 25.09.1963 को प्रतिवादी सं. 6 के हक में डिक्री आदेश फरमाया जाकर वादिया के पिता का नाम हज्फ फरमाया गया था। उक्त आराजीयात से वादिया व उसके पिता का कभी कोई संबंध या सरोकार नही रहा तथा शुरू से ही प्रतिवादी सं. 6 व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण काबिज काश्त रहे एवं प्रार्थीगण ने अप्रेल 2002 में प्रतिवादी स. 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया तभी से उनका कब्जा काश्त है। वादिया व उसके पिता के द्वारा न्यायालय ए0सी0एम0 विराटनगर कैम्प शाहपुरा के डिक्री आदेश दिनांक 25.09.1963 के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई चाराजाही नहीं की है, इसलिए वादिया का दावा विधि के द्वारा वर्जित है, इसलिए न्यायहित में खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज फरमाया जावें।

2. अप्रार्थीया/वादियां की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर अभिकथन किया कि न्यायालय ए0सी0एम0 विराटनगर द्वारा जारी डिक्री आदेश काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42–बी के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भ से ही निरस्तरीय (VOID) है, जिसके निस्तारण के लिए वादिया का वाद सं. 07/2016 न्यायालय हाजा में लम्बित है।

3. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कब्जा धारा 42–बी काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण वैध कब्जा नहीं है, वह तो एकमात्र अतिक्रमण की श्रेणी का कब्जा है, जो कभी भी वैध नहीं माना जा सकता है। न्यायालय में जैरकार वाद सं. 17/2017 के निर्णय से पूर्व प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः मय कोरट खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहा... शाहपुरा (जिला–जय...) राज.

Scanned with CamScanner

4. जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर बहस समाऊत की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने
अपनी बहस मे अपने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि वाद ब उनवानी
हनुमान बनाम भूरा बाबत इस्तकरारहक को न्यायालय ए0सी0एम0 विराटनगर मु0 शाहपुरा द्वारा वादी के
पक्ष मे दिनांक 25.09.1963 को निर्णित किया गया। उक्त आदेश व डिक्री की कोई अपील नहीं की
गई। उक्त आराजी मुतवादिया का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 अर्जुन व मालीराम
हक मे बेचान हो चुका है। दावा पहले से ही निर्णित है, विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है,
खारिज फरमाया जावे।

5. बहस का जवाब देते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादिया ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने
जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बताया कि दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
की धारा 42 के विरूद्ध है। न्यायालय के आदेश के द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की
भूमि को ओ0बी0सी0 वर्ग के सदस्यों के नाम परिवर्तित कर दी। न्यायालय के आदेश की कोई अपील
नही है, जबकि भूराराम के बयान और हस्ताक्षर नही है।

6. विद्वान अधिवक्ता वादिया का यह भी तर्क है कि धारा 42-बी के प्रावधानों के विपरित एक
अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय, गिफ्ट या
अन्य किसी प्रकार से अन्तरित की जाती है तो ऐसा अन्तरण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण शून्य
(Void) है, भले ही ऐसा अन्तरण खातेदार की सहमति से या समझौता करके किसी की डिक्री के द्वारा
ही क्यों न किया गया हो। इस प्रकार खातेदारी अधिकारों का अन्तरण विधि विरूद्ध होने के कारण "ऐब
इनिशियो शून्य" है, जिसको कभी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करवाया जा सकता है, जिसमें परिसीमा
अधिनियम के प्रावधान भी बाध्यकारी नही है। अतः प्रा0पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संशोधित)
1956 की धारा 42-बी के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। अपनी कथनों के
समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त- आर0आर0डी0 1983 पेज 159, आर0आर0डी0 1988 पेज 36,
आर0आर0डी0 1991 पेज 218, आर0आर0डी0 1992 पेज 275, आर0आर0डी0 1993 पेज 22,
आर0आर0डी0 1998 पेज 537, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 577, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 832,
आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 874, आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 965, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज
1197, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1179, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 426, आर0आर0टी0 2013 (2)
पेज 922, आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 924, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1379 में प्रतिपादित सिद्धान्त
उध्दृत किये।

7. हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित
सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन एवं गहनता से अध्ययन कर मनन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादिया ने अपनी बहस में पुरजोर दलील दी है कि उनकी ओर से
उध्दृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में स्पष्ट किया गया
है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42-बी के प्रावधान (संशोधन अधिनियम 1956) दिनांक
22.09.1956 से लागु होने के पश्चात धारा 42 बी के उल्लंघन में किसी भी प्रकार का अन्तरण 'ऐब
इनिशियो नल एण्ड वोईड' होने के कारण वोईड है, जिसको कभी भी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित
करवाया जा सकता है, जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान भी बाध्यकारी नही है। हम विद्वान
अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादिया के इन कथनों से पूर्णतया सहमत है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में वर्तमान में
हमारे सम्मुख एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि को किसी गैर अनुसूचित जाति के
व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकार स्वीकार करने अथवा खातेदारी निरस्त किये जाने का प्रश्न
विचारणीय नही है, अपितु हमारे सम्मुख प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 में मूल रूप से
निम्न बिन्दु विचारणीय है, जिनके आधार पर दावा खारिज फरमाया जा सकता है:-

प्रथमः - जहां दावे में काज आफ एक्शन नही दियागया हो एवं

द्वितीयः- जहां चाहा गया अनुतोष के अनुसार दावे मे मालीयत नही लगाई गई एवं न्यायालय द्वारा
समय दिये जाने पर भी उसे ठीक नही किय गया हो,

तृतीयः- दावे पर पर्याप्त स्टाम्प नही लगाये गये हो एवं समय दिया जाने पर भी इसे दुरूस्त नहीं किया
गया हो तथा

चतुर्थः - दावा कानून से बाधित हो।

9. प्रथमतः तो अप्रार्थीया/वादिया द्वारा अपने वादपत्र में विनाय दावा उत्पन्न होने का कोई स्पष्ट
उल्लेख नहीं किया गया है। वादपत्र के जिमन नम्बर 11 में वादकारण वादपत्र के खण्ड-7 के
मुताबिक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी होना बताया है और जिमन न. 7 में यह उल्लेख किया गया है
कि अप्रार्थीया/वादिया दिनांक 02.07.2012 को जब अपने खेत में बुआई हेतू सफाई कर रही थी तो
प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रश्नगत आराजी में घुस आये तथा उसके कब्जो काश्त में दखल करने लगे तथा
रिकार्ड दुरूस्त करवाने से मना कर दिया और वादिया को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की
ऐलानिया धमकी देने पर वादिया को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह वादपत्र पेश करना लाजमी
हुआ।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

दूसरी ओर अपने जवाब प्रार्थना पत्र के खण्ड सं. 3 में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का आराजी मुतवादिया पद अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा होना स्वीकार किया है। इस प्रकार अप्रार्थीया/वादिया की स्वयं की स्वीकारोक्ति स जब आराजी विवादास्पद पर उसका स्वयं का कब्जा काश्त ही नही था तो उसे बेदखल करने की ऐलानियां धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार हस्तगत वाद में वादिया का विनाय दावा पैदा होने के तथ्य काल्पनिक एवं मनघटन्त हैं। वास्तविक कारण से वाद उत्पन्न होना प्रमाणित नही होता है। द्वितीयत: अप्रार्थीया/वादिया ने अपने वादपत्र के जिमन नम्बर 5 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से बिना किसी अधिकार व कानून के विरूद्ध जाकर दफा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध जाकर प्रतिवादी सं0 6 के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अन्तरण कर दर्ज की जाना अंकित की है, परन्तु किस आदेश व नामान्तरकरण के तहत खातेदारी हस्तान्तरित की गई, इसका कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा यह सुविचारित मत है कि राजस्व अभिलेख के अंकन स्वतः उत्पन्न स्थिति नही होते हैं और राजस्व अंकनों के आधार में कोई न कोई आदेश होता है और जब तक उक्त आदेश का निरस्त नहीं करवाया जावे, तब तक राजस्व अंकनों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामलें में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रकरण सं. 94/1963 ब– उनवानी हनुमान बनाम भूरा दावा बाबत इस्तकरारहक जैर दफा 88 आर.टी.एक्ट में न्यायालय ए0सी0एम0 विराटनगर कैम्प शाहपुरा द्वारा पारित डिक्री व निर्णय में वादिया के पिता के नाम खातेदारी हज्फ करके प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 6/1 व 6/2 के पिता के नाम स्वीकार होना बताई है। स्वयं अप्रार्थीया/वादिया ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिमन नम्बर 2 में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत निर्णय व डिक्री से भी उक्त तथ्य प्रमाणित है। इसलिए जब तक उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.1963 निरस्त नहीं होकर प्रभावशील है जब तक वादिया का उक्त वाद स्वीकार योग्य नहीं है और उक्त डिक्री व निर्णय दिनांक 25.09.1963 को इसके विरूद्ध की गई अपील में ही निरस्त किया जा सकता है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर अपीलीय न्यायालय को है। इसलिए उक्त दावा विधि से वर्जित होने से पोषणीय नहीं है। तृतीयतः अप्रार्थीया/वादिया व उसके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना था कि तथाकथित डिक्री व निर्णय दिनांक 25.09.1963 को निरस्त करवाने संबंधी अन्य वाद संख्या 07/2017 ब– उनवानी शान्ति उर्फ माली बनाम हेमचन्द व अन्य न्यायालय हाजा में जैरकार है। अब जब न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.1963 को निरस्त करवाये जाने का अन्य वाद विचाराधीन है तो उक्त हस्तगत वाद का आशय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह हस्तगत वाद विधि से बाधित होने के कारण भी चलने योग्य नहीं है। चतुर्थ प्रश्नगत वाद में वर्णित आराजीयात को प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 6 से वादपत्र में वर्णित प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा उचित प्रतिफल अदा कर अभिलिखित खातेदारों से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा काबिज काश्त है। राजस्व अभिलेख में भी उनके नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार वे स्वभाविक क्रेता एवं अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अब जब क्रेता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो चुकी है तो जब तक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। इसलिए भी उक्त दावा विधि से बाधित होने के कारण पोषणीय नही है।

10. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 का स्वीकार कर अप्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/11/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट प्रदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 135/2012, पुनः दर्ज 135/2016

शीर्षक

शान्ति उर्फ माली देवी पुत्री श्री भूरया उर्फ भूरा जाति हरिजन निवासी ग्राम देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर। हाल नि0 प्लाट सं. 06, हवेली रोड़, बाबा हाउस, नई दिल्ली।

वादिया

बनाम

1. अर्जुनलाल } पुत्रान रामलाल कुम्हार, निवासी ग्राम देवीपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. मालीराम }
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक जरिये तहसीलदार) तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
4. उपपंजीयक शाहपुरा जिला जयपुर।
5. पटवारी पटवार हल्का देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. हनुमान (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि
   6/1. हेमचन्द पुत्र स्व0 हनुमान } समस्त जाति खण्डवाल निवासी ग्राम देवीपुरा
   6/2. छगनलाल पुत्र स्व0 हनुमान } तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0)

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 का स्वीकार कर अप्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 27.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शपित पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शपित पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner